26/12/25

पत्रा. पेश। हुई। वकु. उप.। वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,89,188 RTA के तहत सिद्ध न होने के कारण खारिज किया जाता है। निर्णय व डिक्री पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, नदवई
व इजलास श्री सचिन यादव ,आर.ए.एस

मु0 उ0 रज्जो बगै0 बनाम राजस्थान सरकार

मुकदमा नंबर 14/2020 दावा बाबत् 88,89, 188 रा0का0 अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ......– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत् वादी द्वारा सिद्ध नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। डिक्री जारी हो।

बैज – मुबलिग ________ बावत ________ ________फीसदी सालाना आज की तारीख सं तारीख व सुलयाबी तक ________ की अदा करें । खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह व दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख........26/12/25........ को जारी की गई ।

मुहरदस्तखत— उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

मुद्दई	रूप्या	पैसा	मुद्दालय	रूप्या	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			म्हनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 14/2020

सीएमएस न. 2020/00034

किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

निर्णय दिनांक ......26/12/25......

1. रज्जो पुत्र मिटठू जाति धोबी निवासी मौहल्ला कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
2. इन्दर पुत्र मिटठू जाति धोबी निवासी मौहल्ला कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
3. नैमी पुत्र मिटठू जाति धोबी निवासी मौहल्ला कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
4. प्रकाश पुत्र मिटठू जाति धोबी निवासी मौहल्ला कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
5. असरफी पुत्री मिटठू जाति धोबी निवासी मौहल्ला कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
6. कुन्ता पुत्री मिटठू जाति धोबी निवासी मौहल्ला कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)
7. चिरोंजा वेवा मिटठू जाति धोबी निवासी मौहल्ला कस्बा नदबई तहसील नदबई (भरतपुर)

—वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

उपस्थित श्री फूल सिंह एड0(वादीगण)

पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार (प्रतिवादीगण)

:: निर्णय ::दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

दावा वादीगण संक्षिप्त में निम्नानुसार है—

1. यह कि विवादित आराजी संवत 2060 हाल खसरा नम्बर 963 रकवा 0.31 हैक्टे. जो कि संवत 2028 के गत खसरा नं0 730 रकवा 1 बी. 5 विस्वा से बना है एवं जिसका गत खसरा नं0 1988 में 565 मिन रकवा 1 बी. 19 विस्वा है। जिसके हाल रिकॉर्डेड गैर खातेदार काश्तकार वादीगण वाहिस्सा बरावर दर्ज है।
2. यह है उपरोक्त आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र वाके कस्बा नदबई प्रथम के साबिक खसरा नम्बर 565 रकवा 2 बीघा का एलोटमेन्ट वादीगण के बाबा तोती पुत्र हरनाम के हक में संवत 2012 में कस्टोडियन भूमि का हुआ था तथा राजस्व रिकॉर्ड में तत्समय वादीगण के बाबा तोती को पट्टेदार दर्ज किया। वादीगण के पिताजी मिट्ठू पुत्र तोती का स्वर्गवास बाबा तोती के जीवनकाल में ही हो गया। वक्त एलोटमेन्ट से वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

के बाबा उपरोक्त भूमि पर बदस्तूर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है तथा उनके देहान्त सन् 1917 उपरान्त काबिज विरासतन वाहिस्सा बरावर बदस्तूर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है तथा अब वादीगण को खातेदारी अधिकार हांसिल हो चुके है। वदीवजह नियमानुसार कस्टोडियन भूमि की कीमत राशि जमा कराई जाकर वादीगण को वाहिस्सा बरावर खातेदारी के इन्द्राज दर्ज करने के आदेश पारित किये जावे तथा वर्तमान इन्द्राजात गैर खातेदारी काबिल कलमजन के है।

3. यह है कि वादीगण उक्त प्रकार मूल एलोटी अपने बाबा के विरासतन वारिस है व राजस्व रिकॉर्ड में गैर खातेदार दर्ज चले आ रहे है तथा इस प्रकार राजस्थान सरकार राजस्व ग्रुप–10(पुनर्वास)विभाग0–1(15)राजस्व/पुनर्वास/2009 जयपुर दिनांक 30.03.2012 के अनुसार निष्कांत आवंटन नियम 1963 के नियम 5(ए) में विभागीय अधिसूचना दिनांक 1. 12.2011 परिशिष्ट–सी द्वारा संशोधित कर नियमन शुल्क 1000 रूपया एवं 500/– रूपया प्रति बीघा का प्रावधान दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त राशि नियमानुसार जमा कराई जाकर वादीगण उक्त आराजी पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।

4. यह है कि कस्टोडियन भूमि से संबधित केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के नियमों का निरसन हो चुका है। केवल राज्य अधिनियम निष्कान्त भूमि के स्थायी आवंटन नियम 1963 ही प्रभाव में है। इसलिए उक्त अधिनियम के तहत जारी किये गये परिपत्र की स्थानीय कृषक के हक में खातेदारी अधिकार दिलाने के लिए प्रभावी होगें।

अतः श्रीमानजी से प्रार्थना है कि वादपत्र वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे।

(अ) यह है कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 02 वादपत्र वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम पर वादीगण अर्सेदराज वक्त एलोटमेन्ट से संवत 2012 से काबिज होने के नाते नियमानुसार कस्टोडियन भूमि की कीमत राशि जमा कराई जाकर वादीगण को वाहिस्सा बरावर खातेदारी अधिकार घोषित किया जावे व वर्तमान इन्द्राजात कलमजन के है।

(ब) यह है कि प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जाव ।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नदबई द्वारा उपस्थित होकर जबावदावा पेश किया गया। जबाव दावा संक्षिप्त में निम्नानुसार है।

1. यह है कि विवादित भूमि के लिए आवंटन नियम–1963 के नियमों के अधीन प्रावधान है। न किसी प्रकार की धमकी दी गई।
2. यह है कि वादी द्वारा धारा 80 जा.दी. के तहत प्रावधान अनुसार दावा पेश करते समय नोटिस नहीं दिया गया है। दावा काबिल खारिजी के है।

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबंदी हाल संवत 2074–2077 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम, नकल प्रमाणित प्रतिलिपि 2070–2073 वाके कस्बा नदबई प्रथम, प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2060 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम, प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2060 कस्बा नदबई प्रथम, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी संवत 2070 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम, प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा गिरदावरी संवत 2066 से 2069 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2051 से 2054 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2014 से 2017 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम, प्रमाणित प्रतिलिपि भू प्रबंध विभाग, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबंदी संवत 2010 से 2012 तक वाके कस्बा नदबई प्रथम, प्रमाणित प्रतिलिपि संवत 2046 से 2050 वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम, मौका पर्चा आराजी खसरा नं0 963 रकवा 0.31 हैक्टे. वाके ग्राम कस्बा नदबई प्रथम आदि दस्तावेजात् पेश किये गये। वादी द्वारा वादपत्र के समर्थन में शपथ पत्र पी0ड्ब्ल्यू0 1 के रूप में रज्जो पुत्र मिटठू जाति धोबी निवासी धोबी मौहल्ला, नदबई का पेश किया गया । पत्रावली के न्याय निर्णयन के लिए तहसीलदार, नदबई से रिपोर्ट चाही गई, जिसकी अनुपालना में तहसीलदार, नदबई के पत्रांक 891 दिनांक 22.08.2024 से भिजवाई गई।

हमने वादी वकील की ओर से बहस सुनी गई। वादी वकील की ओर से वादपत्र में अंकित तथ्यों को पुनः दोहराया गया है।

हमने उभयपक्षकारान की बहस को सुना, पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया तो पाया कि दावा वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत पेश किया गया है। मिलान क्षेत्रफल संवत 2060 के अनुसार हाल खसरा नं0 963/0.31 का गत खसरा नं0 730 रकवा 1 बीघा 5 विस्वा है। जिसका संवत 2028 में गत खसरा नं0 565 मिन रकवा 1 बीघा 19 बिस्वा है। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2074–77 में विवादित आराजी खसरा नं0 963 रकवा 0.31 हैक्टे. वाके कस्बा नदबई पर वादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम गैर खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा नकल जमाबंदी संवत 2070–73 में उक्त विवादित आराजी पर वादीगण के बाबा तोतीराम पुत्र हरनाम के नाम दर्ज रिकॉर्ड एवं तोतीराम के मरने के उपरांत विरासत के रूप में इंतकाल संख्या 1708 से वादीगण संख्या 1 लगायत 7 के नाम अंकन है जो कि गैर खातेदार के रूप में दर्ज है तथा नकल जमाबंदी संवत 2020 में विवादित आराजी पर वादीगण के बाबा तोतीराम पुत्र हरनाम कौम धोबी साकिन देह गैर खातेदार के रूप मे अंकन है तथा खसरा नं0 963 के गत खसरा नं0 730 का अंकन मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 से हो रहा है

उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)

तथा नकल खसरा गिरदावरी संवत 2070–2071 में वादीगण के बाबा तोती के नाम का अंकन गैर खातेदार के रूप में है तथा नकल जमाबंदी संवत 2028 में भी विवादित आराजी पर तोती पुत्र हरनाम कौम धोबी साकिन देह गैर खातेदार के रूप में दर्ज है तथा नकल भू प्रबंधक विभाग पर्चा खतौनी संवत 2021 तोती बल्द हरनाम कौम धोबी साकिन देह गैर खातेदार खसरा नं0 730 एवं 1062 पर अंकन है एंव अन्य खसरा गिरदावरी संवत 2066, 2067, 2068, 2069 में खसरा नं0 963 पर तोतीराम बल्द हरनाम कौम धोबी साकिन देह गैर खातेदार के रूप में काश्त दर्ज रिकॉर्ड है। इसके अलावा संवत 2051–54 मे खसरा नं0 754 पर तोती बल्द हरनाम कौम धोबी साकिन देह गैर खातेदार के रूप में अंकन है। इसके अलावा नकल जमाबंदी संवत 2014–2017 में भी इसी प्रकार का अंकन है। जमाबंदी संवत 2019–22 के खाता संख्या 288 में खसरा नं0 565 मिन रकवा 1 बीघा 19 विस्वा की किस्म बारानी दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक रिकॉर्ड अनुसार आराजीयात कस्टोडियन की भूमि है तथा वादीगण के बाबा तोती पुत्र हरनाम के हक में साबिक खसरा नं0 565 रकवा 2 बीघा अलॉटमेन्ट होना बताया गया है इस संबध में वादी द्वारा किसी प्रकार के अलॉटमेन्ट आदेश अथवा अलॉटमेन्ट कमेटी के बैठक कार्यवाही विवरण का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे साबित होता हो कि उक्त विवादित आराजीयात कस्टोडियन भूमि से वादीगण के बाबा को अलॉटमेन्ट की गई हो एवं न ही किसी प्रकार की वादीगण के बाबा के नाम नकल नामान्तकरण की नकल पेश की गई है जिससे साबित होता है कि उक्त आराजी वादीगण के बाबा को जरिये नकल नामान्तकरण एवं अन्य किसी आदेश से प्राप्त हुई हो। अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत प्रस्तुत दस्तावेजात् के अभाव में स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः आदेश है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीए के तहत सिद्ध न किये जाने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 26/12/25 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(सचिन यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी नदबई
उपखण्ड अधिकारी
नदबई (भरतपुर)